तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नारायण सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.5.2016	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/वादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि जैरकार वाद–पत्र में वादी सं. 2 के रूप में गोपाल सिंह दर्ज रेकार्ड है तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत है। लेकिन वादी सं. 2 गोपाल सिंह का देहान्त हो चुका है तथा गोपाल सिंह के वारिसानो के दावा में रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। स्व गोपाल सिंह के वारिस ना ही तो दावा में हाजीर होना, चाहते हैं और नाहीं दावा में आगे अपना हित निर्धारण करवाने में भाग लेना चाहते है। इसलिए स्व गोपाल सिंह के जायज वारिसानों को दावा में आगे की कार्यवाही हेतु रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। इसलिए स्व० गोपाल सिंह के वारिसानों को गोण प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया जावे। दावा में दर्ज वादी सं० 2 गोपालसिंह का नाम डिलीट किया जाये एवं उनके वारिसानों को गौण प्रतिवादी के रूप में दावा में दर्ज रिकार्ड लिया जावे। स्व. गोपाल सिंह के जायज वारिसान। शारदा डेवी पत्नि स्व गोपाल सिंह, 2. प्रकाश सिंह 3. पंकज सिंह 4. सुमन 5. शान्ति 6. कौशल्या 7. पुनम पुत्र पुत्रीयां स्व गोपाल सिंह जाति – राजपुरोहित नि. भोजास तहसील श्री डुंगरगढ़ है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि फौत वादी से. 2 का नाम दावा से डिलीट किया जाकर उनके जायज वारिसानों के गौण प्रतिवादीगण सं. 9 ता 15 के रूप में दावा में संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त अनुवानी दावा में वादी संख्या 3 मोहनसिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) व धारा 151 सी.पी.सी. में जो तथ्य लिखे है, सही नही होने के कारण हम प्रतिवादीगण द्वारा अस्वीकार किये जाते है। वादी संख्या 3 मोहनसिंह के द्वारा वादी संख्या 2 गोपालसिंह के स्वर्गवास के बाद उनके वारिशांनो क्रो वादी संख्या 2 गोपालसिंह के स्थान पर वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, जो प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया व वादी संख्या 2 गोपालसिंह के वारिशांनो को दावा में वादी संख्या 2 गोपालसिंह के स्थान पर वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित कर लिया गया व दावा में संशोधित टाईटल भी पेश किया जा चुका है। लेकिन वादी संख्या 2 गोपालसिंह के वारिशांन न्यायालय में हाजिर नही आये व उनकी तरफ से वकालतनामा भी उपरोक्त अनुवानी दावा में पेश नही किया गया । अब वादी संख्या 3 मोहनसिंह के द्वारा उपरोक्त अनुवानी दावा में वादी, संख्या 2 गोपालसिंह के वारिशांनो को गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, कानूनन एक बार जिन पक्षकारान को वादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जा चुका है, उन्ही पक्षकारान को वापिस प्रतिवादीगण के रूप में	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पक्षकार नही बनाया जा सकता है। इसलिये वादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कानूनी त्रुटियों से ग्रसित होने के कारण चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी संख्या 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.11.2022 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सी.पीसी. पेश कर वादी संख्या 2 गोपाल सिंह के जायज वारिशान 1. शारदा देवी 2. प्रकाश सिंह 3. पंकजसिंह कुल तीन वारिशानो को वादी के रूप पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.08.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 3 के वारिसानों को पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये एवं दिनांक 29.12.2025 को वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 2/1 से 2/3 (तीनो वारिशानों) तक हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया गया। वादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जाकर वादी संख्या 2 स्व. गोपाल सिंह का नाम डिलीट किया जाकर उनके कुल नौ जायज वारिसानों 1 शारदा देवी 2. प्रकाश सिंह 3. पंकज सिंह 4. सुमन 5. शान्ति 6. कौशल्या 7. पुनम को गौण प्रतिवादी के रूप पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया गया है। वादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 03.11.2022 को वादी संख्या 2 गोपाल सिंह के कुल तीन जायज वारिसान एवं दिनांक 22.01.2026 को वादी संख्या 2 गोपाल सिंह के कुंल नौ जायज वारिसान होना अवगत करवाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन संशोधित वाद–पत्र में आवश्यक पक्षकारों (Necessary Parties) का असंयोजन है। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मृतक गोपाल सिंह के कई जायज वारिसान अब तक रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं। विधि के अनुसार, आवश्यक पक्षकारों के अभाव में किसी भी प्रभावी डिक्री का पारित होना संभव नहीं है। वादी ने पूर्व में (दिनांक 03.11.2022) मृतक के केवल 3 वारिसान होने का शपथपत्र प्रस्तुत किया था, जबकि अब वह 9 वारिसान होने का दावा कर रहा है। वारिसानों की वंशावली जैसे मूलभूत तथ्यों में इस प्रकार का गंभीर विरोधाभास यह दर्शाता है कि वादी ने पूर्व में न्यायालय के समक्ष अशुद्ध तथ्य पेश किए थे। हस्तगत प्रकरण में "असंयोजन" के साथ–साथ "तथ्यों का जानबूझकर छिपाव" भी संलग्न है। जब वाद की नींव (Pleading) ही विरोधाभासी और अविश्वसनीय तथ्यों पर आधारित हो, तो ऐसी स्थिति में मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत और न्यायिक समय की बर्बादी है। चूंकि वर्तमान वाद–पत्र में वंशावली और पक्षकारों का विवरण त्रुटिपूर्ण है, अतः इस पत्रावली पर भविष्य में कोई भी न्यायसंगत निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। न्यायालय के विनम्र मत अनुसार ऐसे

उपखण्ड अधि
श्रीडूंगरगढ (बीक

वाद को "नया वाद" पेश करने की छूट के साथ निस्तारित करना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त कारणों और पत्रावली पर मौजूद विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर, यह न्यायालय धारा 151 सी.पी.सी. में निहित अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान वाद को खारिज करता है। न्याय के हित में वादीगण को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह मृतक गोपाल सिंह के समस्त सही वारिसानों का पूर्ण विवरण देते हुए और पूर्व की त्रुटियों को दूर करते हुए, विधि के अनुसार नया दावा प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़